भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2500

दिनांक 09 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: डेयरी उद्योग के समक्ष चुनौतियां

2500. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः

श्री देवजी पटेलः

श्री राम कृपाल यादवः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डेयरी उद्योग, डेयरी उत्पादों पर उच्च करों, गायों और भैसों की बेहतर नस्लों की कमी, संगठित डेयरी फार्म और निवेश की कमी, डेयरी फार्मिंग में उपयोग की जाने वाली मशीनों और उपकरणों के उच्च मूल्य तथा आयातित डेयरी उपकरणों पर शुल्क जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा तैयार की जा रही कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन समस्याओं के समाधान तथा डेयरी क्षेत्र में निवेश की वृद्धि हेतु कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत डेयरी फार्मिंग को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार डेयरी उत्पादों पर लागू माल और सेवा कर (जीएसटी) की वर्तमान दर 5% से लेकर 18% तक है। डेयरी उत्पादों पर जीएसटी का सुमेलित प्रणाली (एचएस) कोड-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। विभाग को इंडियन डेयरी एसोसिएशन और गुजरात को-आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जैसे हितधारकों से घी, बटरऑयल और स्वादिष्ट बनाए गए दूध जैसे कुछेक डेयरी उत्पादों पर जीएसटी को कम करने और कुछ डेयरी मशीनरी पर आयात शुल्क कम करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

भारतीय गोपशुओं और भैंसों की उत्पादकता विश्व में सबसे कम है। इसी प्रकार यहां पर संगठित डेयरी फार्मों की कमी है और यहां पर डेयरी उद्योग को वैश्विक मानकों तक ले जाने हेतु उच्च स्तर का निवेश किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) देशी बोवाइन नस्लों की कम उत्पादकता में सुधार करने के लिए विभाग देशी बोवाइन नस्लों का विकास और संरक्षण करने तथा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा इसके द्वारा दूध उत्पादन को किसानों के लिए अधिक लाभप्रद बनाने के उद्देश्य राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित कर रहा है।

संगठित डेयरी फार्मिंग और निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार समग्र देश में गुणवत्ता पूर्ण दूध के उत्पादन, प्रापण, प्रसंस्करण तथा दूध और दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए अवसंरचना सृजित करने/सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित डेयरी विकास स्कीमों को कार्यान्वित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। -

(1) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी.)
(2) डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.)
(3) राष्ट्रीय डेयरी योजना- 1 (एन.डी.पी.-1)
(4) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)
(5) डेयरी गतिविधियों में लगी डेयरी सहकारिताओं तथा किसान उत्पादक संगठनों को सहायता देना (एस.डी.सी.एफ.पी.ओ.)

(ग) और (घ) डेयरी फार्मिंग के लिए सी.एस.आर. का प्रयोग करने के लिए विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

*****

अनुबंध

क्र.सं.	माल के लिए जीएसटी दर अनुसूची की वर्तमान स्थिति	
	एच.एस. कोड सहित उत्पाद का नाम	जीएसटी दर
1.	एच.एस. 0401: ताजा दूध तथा वसा निकाले गए दूध सहित पाश्चुरीकृत दूध, दूध और क्रीम, अति उच्च तापमान (यू.एस.टी) वाले दूध को छोड़कर न तो गाढ़ा किया गया और न ही चीनी अथवा अन्य कोई मीठा पदार्थ मिलाया गया दूध (0401)	शून्य
2.	अति उच्च तापमान (यूएचटी) वाला दूध (0401)	5%
3.	एच.एस 0402: दूध और क्रीम, घनीभूत किए गए दूध को छोड़कर स्किमड दूध पाउडर, बच्चों के लिए दूध आहार सहित गाढ़ा किया गया तथा चीनी अथवा अन्य कोई मीठा पदार्थ मिलाया गया दूध	5%
4.	एच.एस 0403: क्रीम, दही, केफिर और अन्य किण्वित या एसिफाइड दूध और क्रीम, चाहे इसे गाढ़ा किया गया हो या न किया गया हो या चीनी या अन्य कोई मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या न मिलाया गया हो या स्वादिष्ट बनाया गया हो और इसमें फल, गिरीदार फल या कोको सम्मिलित हो।	5%
5.	एच.एस. 0404: मट्ठा, चाहे इसे गाढ़ा किया गया हो या न किया गया हो और चीनी या अन्य कोई मीठा पदार्थ मिलाया गया हो न मिलाया गया हो, प्राकृतिक दूध संघटक युक्त उत्पाद, चाहे इसमें चीनी या अन्य कोई मीठा पदार्थ शामिल हो या नहीं, अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न हो।	5%
6.	एच.एस. 0406: छैणा या पनीर को किसी यूनिट के केटनर में रखा गया है और उसे पंजीकृत ब्रांड नाम दिया गया हो।	5%
7.	एच.एस. 0405: मक्खन और अन्य वसा (घी, बटर, ऑयल, आदि) डेयरी स्प्रैडस	12%
8.	एच.एस. 406: पनीर	12%
9.	एच.एस. 2202-90-30: स्वादिष्ट बनाया गया दूध (पेय पदार्थ युक्त दूध)	12%
10.	एच.एस. 2105: आईस्क्रीम और अन्य भोज्य आईस्क्रीम, चाहे इसमें कोको शामिल हो या नहीं।	12%
11.	घनीभूत दूध (04029110, 04029920)	18%